संख्या– 1266 / 33–2–12–4आर.डी. / 12

प्रेषक,

बी०एम०मीना,
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 13 जून, 12

विषय : डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश ।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या–447 / 66–2012–05 / 2012, दिनांक 17 मई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजस्व ग्राम के चहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा० राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना लागू की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के लगभग 10000 राजस्व ग्रामों को चयनित कर समयबद्ध रूप से 05 वर्षों मे विकसित किया जाना है।

2– उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग 1600 राजस्व ग्रामों का चयन किया जायेगा और अनुवर्ती 04 वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 2100 राजस्व ग्रामों का चयन किया जायेगा। ग्रामों के चयन हेतु समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न जनपदों की ग्रामीण जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के सूचकों (backwardness indicators) के आधार पर प्रदेश स्तर पर वर्षवार एवं जनपदवार ग्रामों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित विकास कार्यक्रमों में से "आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण " के लिये पंचायतीराज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

3– समग्र ग्राम विकास विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 17.5.12 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम की बसावटों की आंतरिक गलियों में सी०सी०रोड के साथ नाली या के०सी०ड्रेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है :–

(1) चयनित राजस्व ग्राम को विकास की इकाई (Unit) माना जायेगा, जिसके अंतर्गत उस राजस्व ग्राम की समस्त बसावटें सम्मिलित होंगी । मुख्य ग्राम को भी एक बसावट माना जायेगा।

1426

15/6/12

18/6/2012

(2) वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों में निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्तीकरण का कार्य दिनांक 31.3.2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिये जायेंगे तदोपरांत अनुवर्ती वर्षों हेतु चयनित राजस्व ग्रामों के संतृप्तीकरण के कार्य भी इसी प्रकार किये जायेंगे।

(3) वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों / बसावटों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण के भौतिक लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु समय–सारिणी (संलग्न प्रारूप–1) निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.3.2013 तक सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जायेगा।

(4) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 तक की आबादी वाले ग्राम में रू020.00 लाख, 2001 से 5000 तक की आबादी वाले ग्रामों में रू030.00 लाख तथा 5001 या अधिक आबादी वाले ग्रामों में रू040.00 लाख की सीमा तक व्यय कर आंतरिक गलियों का निर्माण कराया जाए।

(5) श्रमांश यथा संभव मनरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा।

(6) ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं यथा– राज्य वित्त आयोग एवं 13वां वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से उपर्युक्त धनराशि सीमा की न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि का संबंधित ग्राम पचांयत द्वारा योगदान दिये जाने पर ही उपर्युक्त धनराशि व्यय की जा सकेगी।

(7) इस कार्यक्रम हेतु आवश्यक धनराशि की बजट व्यवस्था पंचायतीराज विभाग द्वारा की जायेगी।

(8) जिन गलियों के निर्माण से 40 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति / जनजाति की आबादी लाभान्वित हो, उसके बजट की व्यवस्था स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एस0सी0पी0) के अंतर्गत की जायेगी।

(9) जिन गलियों में दोनों तरफ आबादी है और मार्ग की चौड़ाई 3.00 मी0 या उससे अधिक है, वहां दोनों ओर नाली / के0सी0ड्रेन बनायी जायेगी तथा अन्य गलियों में स्थलीय आवश्यकतानुसार नाली / के0सी0ड्रेन बनायी जायेगी।

(10) ग्राम में गलियों से जल निकासी सुनिश्चित करने हेतु सी0सी0रोड / नाली निर्माण से पूर्व ग्राम की समस्त गलियों का एक ढलान मानचित्र (Slope Map) तैयार कर लिया जाए। इसके पश्चात सी0सी0रोड / नाली का निर्माण इस प्रकार कराया जाए कि निर्मित की गयी समस्त नालियों से समुचित जल निकासी सुनिश्चित हो सके।

(11) यदि कुल उपलब्ध धनराशि से चयनित ग्राम की समस्त गलियों में सी0सी0रोड एवं नाली या के0सी0ड्रेन का निर्माण नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जिन गलियों में कार्य कराया जाना है, उनका चयन

उस राजस्व ग्राम से संबंधित ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाय।

(12) इस कार्यक्रम हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग होंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्य का बटवारा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा करके कार्य बटवारा की स्थिति से निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 20 जून, 2012 तक अवगत कराया जायेगा, जिससे कि योजना के कियान्वयन एवं धनावंटन के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(13) सी0सी0रोड के साथ नाली एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग / व्यय वित्त समिति के अनुमोदन से डिजाइन व विशिष्टियां प्रदेश के समस्त जनपदों के कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ पंचायतीराज विभाग एवं समग्र ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुवर्ती 4 वर्षों में भी प्रतिवर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) समग्र ग्राम विकास विभाग के संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.5.2012 के प्रस्तर-6 में ग्रामों के चयन के सम्बन्ध में निर्धारत प्रकिया के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा चयनित ग्रामों की सूची संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समग्र ग्राम विकास विभाग एवं निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) वर्ष 2012-13 हेतु चयनित ग्रामों की सूची एवं उनमें निर्मित कराये जाने वाले सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण की संबंधी कार्यों की संकलित कार्ययोजना संलग्न प्रारूप-2 पर दिनांक 30 जून, 2012 तक तैयार कर ली जाए तथा तैयार कार्य योजना निदेशक, पंचायतीराज विभाग को साफ्ट कापी के साथ 15 जुलाई, 2012 तक उपलब्ध करायी जायेगी और निदेशक, पंचायतीराज द्वारा उक्त कार्ययोजना संकलित कर समग्र ग्राम विकास विभाग / पंचायतीराज विभाग, उ0 प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संदर्भित कार्यकम हेतु आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए समय-समय पर धनावंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण करते हुए प्रगति की मासिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

(17) उक्त योजनान्तर्गत निर्मित कराये जाने वाले सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन के लिये अनुमानित प्राक्कलन तथा प्रारंभिक योजना तैयार कर कार्यदायी संस्था यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा उस पर संबंधित जिलाधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(18) जिलाधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कार्यदायी संस्था के जिला स्तर पर अधिकृत अधिशासी अभियंता द्वारा आगणन पर नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3— चयनित ग्रामों की आंतरिक गलियों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण की कार्ययोजना का निर्माण एवं योजनाओं के कियान्वयन तथा उनके अनुश्रवण के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाती है:—

(क)	जिलाधिकारी	— अध्यक्ष
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी	— उपाध्यक्ष
(ग)	जिला विकास अधिकारी	— सदस्य
(घ)	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	— सदस्य
(ड.)	संबंधित कार्यदायी संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी(अधिशासी अभियंता)	— सदस्य
(च)	जिला पंचायत राज अधिकारी	— सदस्य
(छ)	परियोजना निदेशक, (डी0आर0डी0ए0)	—सदस्य सचिव

4— योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यकम के कियान्वयन एवं मानकानुसार संतृप्तीकरण हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग) के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी होंगे। कार्यदायी संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी जनपद स्तर पर गठित कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। योजना के निर्माण, कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी जिन्हें समिति कोई भी दायित्व सौपे, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सनिश्चित करेंगे।

5— चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण के अनुश्रवण हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा संलग्न **निर्धारित प्रारूप—3** पर अपेक्षित सूचना प्रतिमाह संबंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी एवं मण्डलायुक्त द्वारा समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त कर प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक समग्र ग्राम विकास विभाग / निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ को <u>ई—मेल अथवा सी0डी0</u> के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6— चयनित ग्राम की बसावटों की आंतरिक गलियों मे सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण कार्यकम के भौतिक एवं गुणात्मक प्रगति के मूल्यांकन हेतु गहन एवं प्रभावी निरीक्षण किये जायें तथा ये निरीक्षण जिला स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त मंडल एवं राज्य स्तर के अधिकारियेां के द्वारा भी किया जाए।

7— योजना के कियान्वयन की समीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा नियमित अंतराल पर की जायेगी। शासन स्तर पर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन नियमित रूप से करेंगे।

8— इस कार्यकम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं विस्तृत अनुश्रवण का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक : यथोपरि।

13/6/2012

(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव ।

संख्या –1266 (1)/33–2–12–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2— स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
4— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/वित्त/नियोजन/ समाज कल्याण/समग्र ग्राम विकास विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन ।
5— निदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0, लखनऊ ।
6— निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7— निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ ।
8— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9— प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 ।
10— निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 ।
11— उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
12— समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 ।
13— समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
14— समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 ।
15— समस्त वित्तीय परामर्शदाता,जिला पंचायते, उ0प्र0 ।
16— पंचायतीराज अनुभाग–1, 3 ।
17— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
अनुसचिव ।

शासनादेश संख्या– 1266/33–2–12–4 आर.डी./12, दिनांक 13 जून,12 का संलग्नक

प्रारूप–1

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों/बसावटों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण के भौतिक लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु

समय–सारिणी

क0सं0	विवरण	लक्षित तिथि
1	ग्रामों का चयन (जिला स्तर पर)	20.06.2012
2	कार्य योजना का पंचायतीराज विभाग को प्रेषण	15.07.2012
3	पंचायतीराज विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को धनराशि उपलब्ध कराया जाना	31.07.2012
4	लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कार्यों का विस्तृत आगणन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाना, निविदाओं का आमंत्रण	15.08.2012
5	जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना एवं सम्बन्धित खण्डों को धनराशि उपलब्ध कराया जाना	31.08.2012
6	सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करना	15.09.2012
7	अनुबन्धों का गठन	30.09.2012
8	कार्य पूर्ण करने की तिथि	31.03.2013

भौतिक प्रगति

1	अक्टूबर, 2012 तक	5 प्रतिशत
2	नवम्बर, 2012 तक	15 प्रतिशत
3	दिसम्बर, 2012 तक	40 प्रतिशत
4	जनवरी, 2013 तक	60 प्रतिशत
5	फरवरी, 2013 तक	80 प्रतिशत
6	मार्च, 2013 तक	100 प्रतिशत

शासनादेश संख्या– 1266 / 33–2–12–4 आर.डी. / 12, दिनांक 13 जून,12 का संलग्नक

प्रारूप–3

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों / बसावटों में सी०सी० रोड के साथ नाली या के०सी० ड्रेन निर्माण की मासिक प्रगति आख्या

माह में ____

क्र० सं०	मण्डल / जनपद का नाम	लक्षित ग्रामों की संख्या	लक्षित बसावटों की संख्या (ग्राम को सम्मिलित करते हुए)	कार्य योजना के अनुसार वित्तीय आवश्यकता	उपलब्ध धनराशि		क्रमिक व्यय	व्यय का प्रतिशत		लम्बाई कि०मी० में क्रमिक भौतिक प्रगति (उपलब्धि / लक्ष्य)						भौतिक प्रगति प्रतिशत में	संतृप्तिकरण की स्थिति		टिप्पणी
										LC		CC		Drain					
					जनपद स्तर पर	खण्ड स्तर पर		वित्तीय आवश्यकता के अनुसार	उपलब्ध धनराशि के अनुसार	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य		संतृप्त ग्रामों की सं०	संतृप्त बसावटों की सं० (ग्रामों को सम्मिलित करते हुए)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	जनपद का योग																		
	मण्डल का योग																		

भौतिक प्रगति के मानक	कार्य	एल०सी०	सी०सी०	के०सी० ड्रेन
	प्रतिशत	15%	40%	45%

भौतिक प्रगति के लक्ष्य	माह	अक्टूबर 2012	नवम्बर 2012	दिसम्बर 2012	जनवरी 2013	फरवरी 2013	मार्च 2013
	प्रतिशत	05%	15%	40%	60%	80%	100%

हस्ताक्षर

शासनादेश संख्या– 1266/33–2–12–4 आर.डी./12, दिनांक 13 जून,12 का संलग्नक

प्रारूप–2

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों/बसावटों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण की कार्ययोजना

विभाग का नाम :

लम्बाई कि0मी0 में

लागत : रू0 लाख में

क्र0 सं0	मण्डल/जनपद का नाम	तहसील/विधान सभा का नाम	विकास खण्ड का नाम	चयनित राजस्व ग्राम	बसावट का विवरण (ग्राम को सम्मिलित करते हुए)				अपेक्षित कार्य		कुल लागत	टिप्पणी
					नाम	कुल आबादी	अनुसूचित जाति/जन जाति की आबादी	अनुसूचित जाति/जन जाति की आबादी का प्रतिशत (8/7*100)	सी0सी0 मार्ग की लम्बाई	के0सी0 ड्रेन की लम्बाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीय राज
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

1—समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

संख्याः 5/ग्रा0/142/2012—5/8/2012 लखनऊ दिनांकः 14 जून,2012

विषयः डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—1283/33—2—12—4 आर0डी0/2012 दिनांक 13 जून 2012 के साथ समस्त मण्डायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी को सम्बोधित पंचायती राज अनुभाग—2 के शासनादेश संख्याः 1266/33—2—12—4 आर0डी0/12 दिनांक 13 जून 2012 की प्रति एवं निर्धारित प्रारूप प्राप्त हुआ है, जिसमें डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून 2012 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(सुरेन्द्र जयनरायण)
उपनिदेशक (पं0)
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्याः 5/ग्रा0/142/1/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1—स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2—स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3—प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
4— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/वित्त/नियोजन/समाज कल्याण/समग्र ग्राम विकास विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5—निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7—निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।
8—समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9—प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
10—निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
11—उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
12—समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
13— समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
14— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
15—समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, उ0प्र0।
16— पंचायतीराज अनुभाग—1,3

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

(सुरेन्द्र जयनरायण)
उपनिदेशक (पं0)
पंचायतीराज, उ0प्र0।

D:\dpt skn-5\alchnd jee\letter.docx